ont>

Title: Need to provide more financial powers to village Panchayats to make them more effective.

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, देश के स्वतंत्र होने के बाद समाज की प्रगति का दायित्व हमारे उपर आया और देश में जनता की चुनी हुई सरकार ने विकास का दायित्व संभालते हुए कार्य प्रारंभ किया। विश्व के अन्य देश भी हमारे साथ-साथ विकास के मार्ग पर चले परन्तु उनकी गति तेज थी। अतः वे आगे निकल गए। भारत विकास में पीछे ही नहीं रहा यहां जो विकास हुआ, वह असंतुलित था। असंतुलित विकास ने हमारे सामने नई-नई समस्याएं खड़ी कर दी हैं। बेरोजगारी, अराजकता और असंतोा के कारण विभिन्न रूप से उत्पन्न हिंसक वातावरण हमारे देश में बना हुआ है। आज जरूरत है कि इस असंतुलित विकास को थामा जाए तथा विकास की गति तेज की जाए। 1992 में 73वां संविधान संशोधन किया गया जिसके तहत ग्राम पंचायतों को वित्तीय अधिकार देकर उनके कार्यकरण को प्रभावी बनाने का प्रावधान था। आज एक दशक बीत गया, देश के ग्रामीण अंचलों में पंचायतों का बुरा हाल है। उनका कार्यकरण भी दयनीय बना हुआ है। केन्द्रीय सरकार से लेकर राज्य सरकारों की इस संबंध में कार्यवाही एक समान ही रही है। इसीलिए इन पंचायतों का देश के विकास में योगदान प्रभावी रूप नहीं मिल सका है। मेरा आग्रह है कि सरकार अविलम्ब इस मामले में प्रभावी पग उठाए - ग्राम पंचायतों को वित्तीय अधिकार देकर उनके कार्यकरण को प्रभावी बनाकर और योजनाओं के क्रियान्वयन में उपयोग कर, देश को विकास के मार्ग पर अग्रसर करें।